



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224524
CG-DL-E-18012021-224524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942

No. 211]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 231(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-131A के कि०मी० 55.200 से कि०मी० 79.100 तक (अमदाबाद-मनिहारी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-131A के कि०मी० 55.200 से कि०मी० 79.100 तक (अमदाबाद - मनिहारी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, कटिहार	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH131A के कि.मी. 55.2 से 79.1 तक	बिहार	कटिहार	मनिहारी	1मीरगंज
						2बघार बिल
						3गुआगाछी
						4काटाकोस
					अमदाबाद	1रघुनाथपुर
						2बैरिया
						3बलरामपुर
						4प्राणपुर
						5नन्दगांव कालादियारा
						6करिमुल्लाहपुर
						7अमदाबाद
						8भवानीपुर
						9बंगाल पाडा
						10चैकियापहाडपुर
						11किशनपुर
12बलुआघट्टी						
13पारदियरा						

[फा. सं. RW/PAT/NH/131A/ Amdabad-Manihari section/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 231(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter to as the said Act.) the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority's to perform the function of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, districts, taluk, and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Road

(widening / 2-laning/4-laning/ROB etc.) maintenance management and operation from km 55.200 to Km 79.100 (Amdabad-Manihari section) of the National Highway No. 131A in the State of Bihar.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No 131A (Amdabad-Manihari section) in the state of Bihar on the stretch from km. 55.200 to Km 79.100.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer ,Katihar	55.2KM To 79.1KM	BIHAR	Katihar	Manihari	1 Mirganj
						2 VagharBil
						3 guwagachhi
						4 Kanta kosha
					Amdabad	1 Raghunathpur
						2 Bairiya
						3 Balrampur
						4 Pranpur
						5 NandgaonKaladiara
						6 Karimmullahpur
						7 Ahmdabad
						8 Bhavanipur
						9 Bangal Para
						10 Choukiya Paharpur
						11 Kisanpur
						12 Baluwaghatti
						13 Par Diyara

[F. No. RW/PAT/NH/131A/ Amdabad-Manihari section/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director